

छात्रवृत्तियां एक दृष्टि में

शासनादेश संख्या : 1799/XXIV-3/12/02(08)05 दिनांक 13 मार्च 2013 का संलग्नक

क्र० सं०	छात्रवृत्ति	योजना	छात्रवृत्ति का स्वरूप
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरान्त प्रति विकासखण्ड से 05 छात्र-छात्राओं (90X5=475) का चयनोपरान्त छात्रवृत्ति।	छात्रवासी के लिए रू० 200.00 व अछात्रवासी के लिए रू० 150.00 प्रस्तावित।
2.	डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम में आधार 11 शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं में से गढ़वाल मण्डल के 06 एवं कुमाऊँ मण्डल से 05 छात्र-छात्राओं को देय होगी।	रू० 250.00 प्रतिमाह
3.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा परिणाम के मैरिट के आधार पर छात्र-छात्राओं को राज्य स्तर पर चयनोपरान्त छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाती है।	कक्षा 11 एवं 12 के लिए रू० 60.00 प्रतिमाह।
4.	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन	सरस्वती योजना के तहत समस्त वर्गों की बालिकाओं की कक्षा-8 में 80 प्रतिशत उपस्थिति तथा कक्षा-9 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा-10 में प्रवेश के पश्चात् बालिकाओं की कक्षा-9 में 80 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर अनुदान देय।	कक्षा 9 में रू० 1000.00 एक मुश्त कक्षा 10 में रू० 2000.00 एक मुश्त
5.	Incentive to Girls for Secondary Education	समस्त अनु०जाति एवं अनु० जनजाति एवं के०जी०बी०वी० से कक्षा-8 उत्तीर्ण सभी बालिकाओं को अनुमन्य	कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर रू० 3000.00 एक मुश्त।
6.	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति	कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के घोषित परिणाम में मैरिट (योग्यता) के आधार पर अवरोही क्रम में निर्धारित संख्या तक छात्रवृत्ति सुविधा अनुमन्य।	रू० 500.00 प्रतिमाह, कक्षा 11 एवं 12,

7.	राष्ट्रीय सह-साधन योग्यता छात्रवृत्ति (National Means-Cum-Merit)	कक्षा-8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त राष्ट्रीय सह साधन योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को घोषित परिणाम में मैरिट (योग्यता) के आधार पर अवरोही क्रम में निर्धारित संख्या तक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सुविधा अनुमन्य।	रु0 500.00 प्रतिमाह। कक्षा 9 से 12।
8.	खेल छात्रवृत्ति (राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले छात्र खिलाड़ी)	पदक प्राप्त करने वाले उत्तराखण्ड के समस्त खिलाड़ी	स्वर्ण पदक रु0 500.00 प्रतिमाह। सिल्वर पद रु0 400.00 प्रतिमाह। कांस्य पद रु0 300.00 प्रतिमाह।
9.	आर.आई.एम.सी. छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति)	उत्तराखण्ड राज्य कोटे के समस्त विद्यार्थी।	रु0 1000.00 प्रतिमाह।
10.	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड मूल के समस्त विद्यार्थी। अभिभावक की आय के आधार पर	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12000 मासिक तक पूर्ण छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्ति रु40,000 वार्षिक। 2. 12,001 से 15,000- मासिक तक तीन चौथाई रु30,000 वार्षिक। 3. 15,001 से 18,000-मासिक तक आधी 20,000 वार्षिक। 4. 18,001 से 22,000-मासिक तक एक चौथाई 10,000 वार्षिक। 5. 22,000- मासिक से ऊपर कुछ नहीं।
11.	विविध छात्रवृत्ति		
	1. सीमांत जनपद के छात्र/छात्राओं हेतु परिवहन भत्ता	मानक के अन्तर्गत आने वाले समस्त छात्र	वास्तविक धनराशि की प्रतिपूर्ति।
	2. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति	मानक के अन्तर्गत आने वाले समस्त छात्र	कक्षा 9से 12 तक छात्रवासी के लिए रु0 200.00 व अछात्रवासी के लिए रु0 150.00 प्रस्तावित।